अनुमोदित

[illegible]

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UIT's Property

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 18.11.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. .... Dt. 5/01/15
6207-8/15

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Note: — These drawings are approved only upto 40m. height.

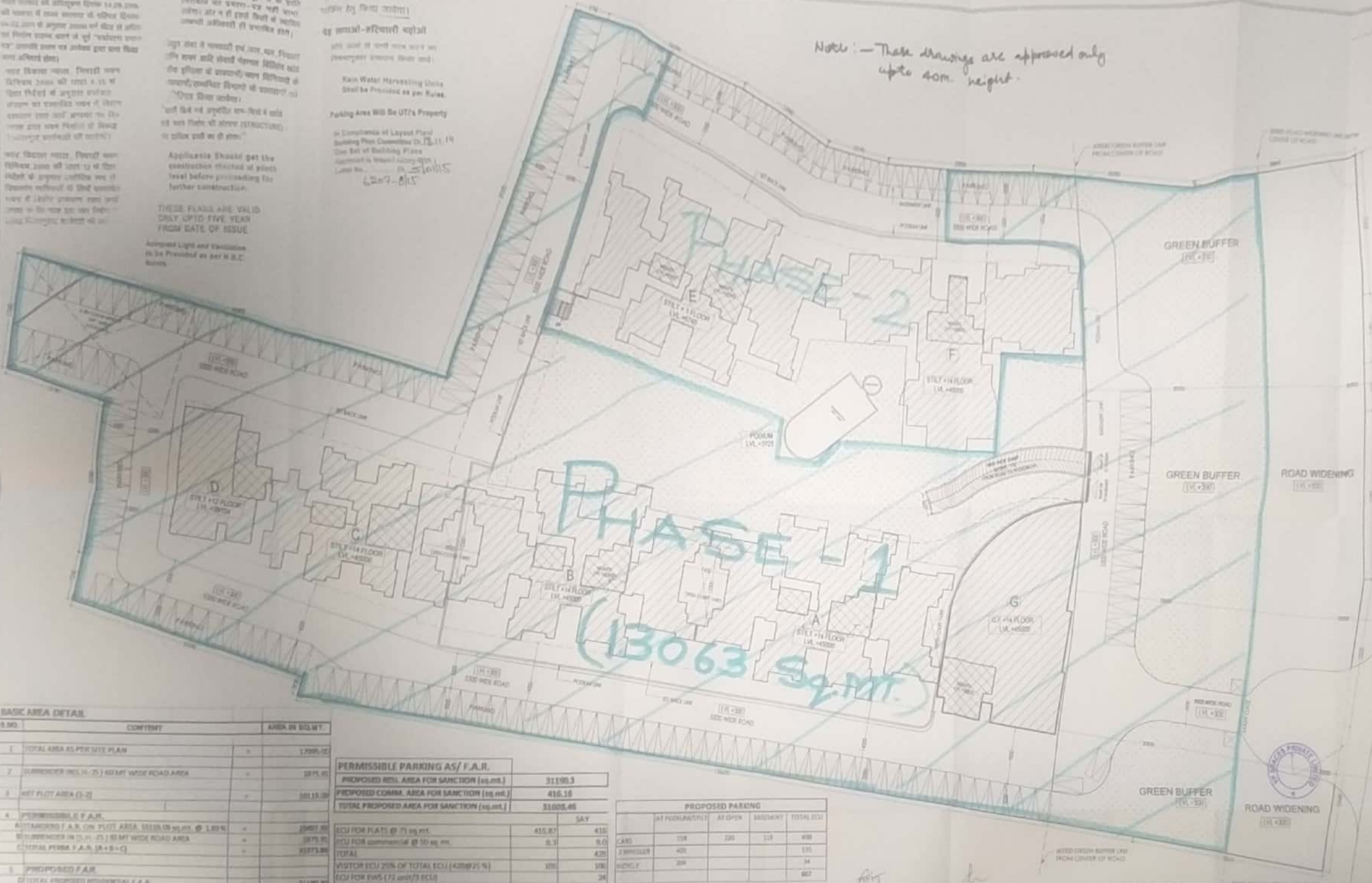

BASIC AREA DETAIL

S.NO.	CONTENT		AREA IN SQ.MT.
1	TOTAL AREA AS PER SITE PLAN	=	17095.00
2	SURRENDER (NH-25) 60 MT WIDE ROAD AREA	=	1875.91
3	NET PLOT AREA (1-2)	=	[illegible]
4	PERMISSIBLE F.A.R.		
A	STANDARD F.A.R. ON PLOT AREA [illegible] sq.mt. @ 1.83 %	=	[illegible]
B	SURRENDER IN (S.H.-25) 60 MT WIDE ROAD AREA	=	1875.91
C	TOTAL PERM. F.A.R. (A+B+C)	=	[illegible]
5	PROPOSED F.A.R.		
D	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL F.A.R.	=	[illegible]
E	TOTAL PROPOSED COMMERCIAL F.A.R.	=	416.18
F	TOTAL PROPOSED F.A.R. (D+E+F) @1.[illegible] %	=	[illegible]

S.NO.	CONTENT	PERMISSIBLE (sq.mt.)	PROPOSED
6	GROUND COVERAGE AREA	5041.48 (30%)	[illegible] (29.82 %)
7	HEIGHT OF BUILDING	120 mt.	45.00 mt.
8	PARKING	[illegible] ECU (REQUIRED)	687 ECU
9	OPEN GREEN SPACE	[illegible] (20%)	[illegible] (17.90 %)
10	COMMERCIAL BUILDING	[illegible] (3 %)	416.18 (1.[illegible] %)
11	COMMUNITY BUILDING	[illegible] (5 %)	[illegible]
12	AREA OF E.W.S.	[illegible] (5 %)	[illegible]

PERMISSIBLE PARKING AS/ F.A.R.

PROPOSED RESI. AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	31190.3
PROPOSED COMM. AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	416.16
TOTAL PROPOSED AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	31606.46

		SAY
ECU FOR FLATS @ 75 sq.mt.	415.87	416
ECU FOR commercial @ 50 sq.mt.	8.3	9.0
TOTAL		425
VISITOR ECU 25% OF TOTAL ECU (420@25 %)	106	106
ECU FOR EWS (72 unit/3 ECU)		24
TOTAL NOS. OF ECU REQUIRED		555

AS / NORMS	REQUIRED	PROPOSED
FOR CAR ECU 75 %	416.52	498
FOR 2 WHEELER ECU 20%	111.07	135
FOR BICYCLE ECU 05 %	27.75	34
	555	667

	PROPOSED F.A.R. DETAIL (AS/ HEIGHT)		AREA (sq.mt.)
a	TOTAL PROPOSED F.A.R.	=	31606.46
b	TOTAL PROPOSED F.A.R. UP TO 40 mt. HT	=	[illegible]
c	TOTAL PROPOSED F.A.R. ABOVE 40 mt. HT	=	[illegible]

PROPOSED PARKING

	AT PODIUM/STILT	AT OPEN	BASEMENT	TOTAL ECU
CARS	159	220	119	498
2 WHEELER	405			135
BICYCLE	204			34
				667

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

SITE PLAN

SCALE 1 : 300

SCALE 1:300	DRG. NO	
DATE -01-08-2014	ST-1	

EXECUTIVE ARCHITECTS
FINE ARCH STUDIO (P) LTD

PROJECT
GROUP HOUSING SCHEME AT, KHASRA NO.- 53, 403/ 54, 402/ 53, 64, 401/ 63, 400/ 63, 399/61 AT VILLAGE - BANBEERPUR AND 34,35 AT VILLAGE BIBIPUR, BHIWADI (RAJ.)

CLIENT
M/S. V.P. SPACES PVT. LTD

DRG. TITLE
SITE PLAN & AREA SUMMARY

OWNER SIGN
For V.P. SPACES (P) LTD.
Director(s)

ARCHITECT SIGN
ARCHITECT

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 6207/15

दिनांक 05/01/15

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 वी.पी. स्पेसिस प्रा0 लि0
46 इन्द्रा विहार दिल्ली

विषयः— मै0 वी.पी. स्पेसिस प्रा0 लि0, पंजीकृत कार्यालयः— 46 इन्द्रा विहार दिल्ली, जर्ये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री वरूण मनचन्दा पुत्र स्व0 श्री एम.आर. मनचन्दा जाति पंजाबी निवासीः— जे. 187, विकासपुरी दिल्ली द्वारा ग्राम बीबीपुर तह0 तिजारा खसरा न0 34, 35 एवं ग्राम बनबीरपुर तह0 तिजारा के खसरा नं0 402/53, 64, 401/63, 400/62, 399/61, 53, 403/54 कुल किता 09 कुल क्षेत्रफल 16119.09 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्ररियोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भः— आपका आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 05.08.2014 के अनुसार ग्राम बीबीपुर तह0 तिजारा खसरा न0 34, 35 एवं ग्राम बनबीरपुर तह0 तिजारा के खसरा नं0 402/53, 64, 401/63, 400/62, 399/61, 53, 403/54 कुल किता 09 कुल क्षेत्रफल 16119.09 वर्ग मी0 भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की 45वी बैठक दिनांक 18.11.2014 के एजेण्डा नं0 02 पर लिये गये निर्णय अनुसार 40 मी0 ऊँचाई तक के मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाते है तथा 40 मी0 से उपर की ऊँचाई के भाग बाबत राज्य सरकार से मार्गादर्शन प्राप्त होने के पश्चात न्यास द्वारा निर्णय किया जावेगा।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण—पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैक एवं स्टिल्ट क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदानुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. आवेदक द्वारा कुल 72 EWS ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन इकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

5.1.2015

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्नः– भवन मानचित्र (   )

क्रमांकः आयोजना/ **दिनांकः**

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ोओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 18.11.14
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 6207-8/15 Dt. 5/01/15

Note:- These drawings are approved only upto 40m. height.

BASIC AREA DETAIL

S.NO.	CONTENT		AREA IN SQ.MT.
1	TOTAL AREA AS PER SITE PLAN	=	17995.00
2	SURRENDER IN(S.H.-25) 60 MT WIDE ROAD AREA	=	1875.91
3	NET PLOT AREA (1-2)	=	16119.09
4	**PERMISSIBLE F.A.R.**		
A	STANDERD F.A.R. ON PLOT AREA 16119.09 sq.mt. @ 1.83 %	=	29497.93
B	SURRENDER IN (S.H.-25) 60 MT WIDE ROAD AREA	=	1875.91
C	TOTAL PERM. F.A.R. (A + B = C)	=	31373.84
5	**PROPOSED F.A.R.**		
D	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL F.A.R.	=	31190.30
E	TOTAL PROPOSED COMMERCIAL F.A.R.	=	416.16
F	TOTAL PROPOSED F.A.R. (D + E = F) @1.960 %	=	31606.46

S.NO.	CONTENT	PERMISSIBLE (sq.mt.)	PROPOSED
6	GROUND COVERAGE AREA	5641.68 (35%)	3195.115 (19.82 %)
7	HEIGHT OF BUILDING	120 mt.	45.00 mt.
8	PARKING	555 ECU (REQUIRED)	667 ECU
9	OPEN GREEN SPACE	3223.818 (20%)	4448.34 (27.59 %)
10	COMMERCIAL BUILDING	953.619 (3 %)	416.16 (1.309 %)
11	COMMUNITY BUILDING	1580.32 (5 %)	198.46 (0.627 %)
12	AREA OF E.W.S.	1580.32 (5 %)	2046.12 (6.56 %)

PERMISSIBLE PARKING AS/ F.A.R.

PROPOSED RESI. AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	31190.3	
PROPOSED COMM. AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	416.16	
TOTAL PROPOSED AREA FOR SANCTION (sq.mt.)	31606.46	
		SAY
ECU FOR FLATS @ 75 sq.mt.	415.87	416
ECU FOR commercial @ 50 sq.mt.	8.3	9.0
TOTAL		425
VISITOR ECU 25% OF TOTAL ECU.(428@25 %)	106	106
ECU FOR EWS (72 unit/3 ECU)		24
TOTAL NOS. OF ECU REQUIRED		555
AS / NORMS	REQUIRED	PROPOSED
FOR CAR ECU 75 %	416.32	498
FOR 2 WHEELER ECU 20%	111.02	135
FOR BICYCLE ECU 05 %	27.75	34
	555	667

PROPOSED PARKING

	AT PODIUM/STILT	AT OPEN	BASEMENT	TOTAL ECU
CARS	159	220	119	498
2 WHEELER	405			135
BICYCLE	204			34
				667

	PROPOSED F.A.R. DETAIL (AS/ HEIGHT)		AREA (sq.mt.)
a	TOTAL PROPOSED F.A.R.	=	31606.46
b	TOTAL PROPOSED F.A.R. UP TO 40 mt. HT.	=	27199.49
c	TOTAL PROPOSED F.A.R. ABOVE 40 mt. HT.	=	4406.97

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SITE PLAN

SCALE 1: 300

SCALE :- 1:300
DATE :-01-08-2014
DRG. NO. ST-1
N

EXECUTIVE ARCHITECTS
FINE ARCH STUDIO (P) LTD
ARCHITECTS ENGINEERS & INTERIOR DESIGNERS
K - 7/34 , D.L.F. PH - II, GURGAON (HARYANA) , PIN - 122001
PH. - 0124 - 4296622, CELL +91-98106-30218, +91-98108-80260

PROJECT:
GROUP HOUSING SCHEME AT, KHASRA NO.- 53, 403/ 54, 402/ 53, 64, 401/ 63, 400/ 62, 399/61,AT VILLAGE - BANBEERPUR AND 34,35 AT VILLAGE BIBIPUR, BHIWADI (RAJ.)

CLIENT:
M/S. V.P. SPACES PVT. LTD.

DRG. TITLE
SITE PLAN & AREA SUMMARY

OWNER SIGN.
For V.P. SPACES (P) LTD.
Director(s)

ARCHITECT SIGN.
ARCHITECT
J.B. SINGH CA NO./2008/42258
K-7/34, G.F. DLF PH-II
GURGAON-122001
CELL :9810830218

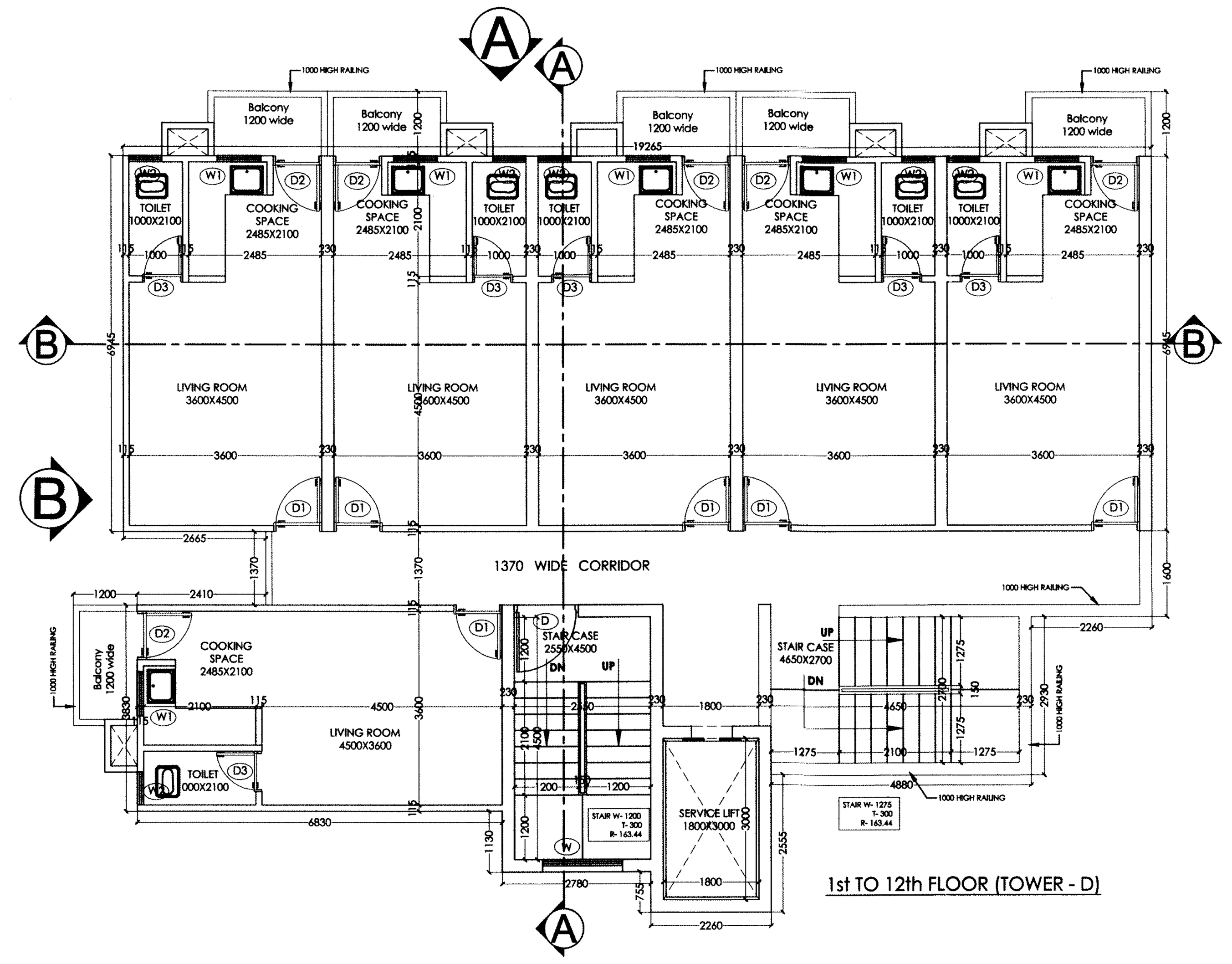

1st TO 12th FLOOR (TOWER - D)

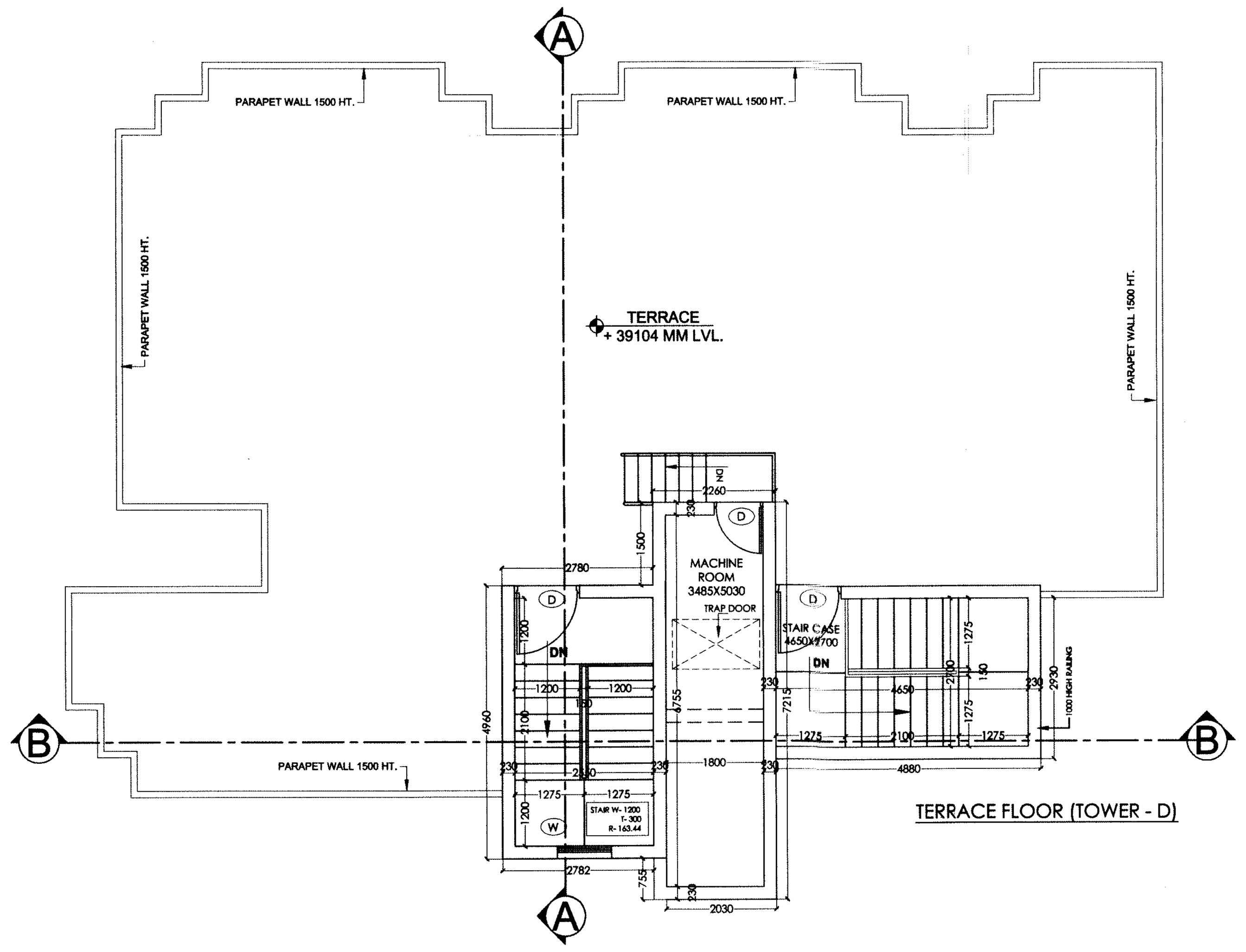

TERRACE FLOOR (TOWER - D)

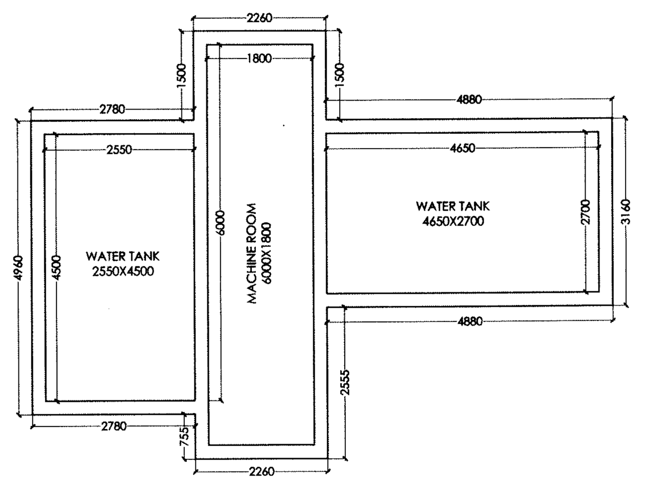

MACHINE ROOM PLAN & WATER TANK ABOVE MUMTY AT LVL. + 39762

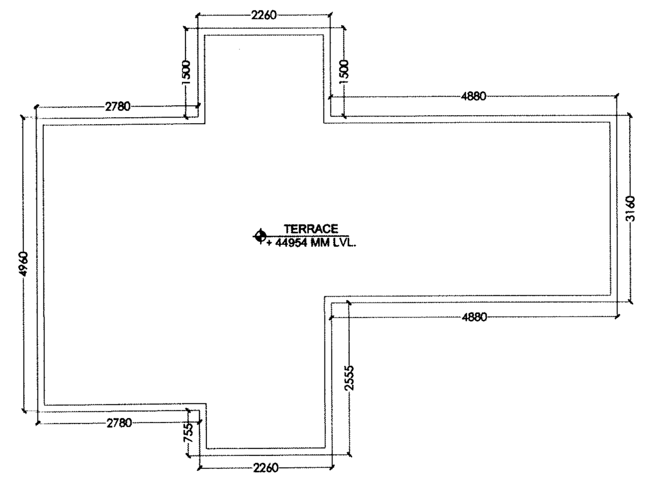

WATER TANK & MACHINE ROOM TERRACE AT LVL. + 44954

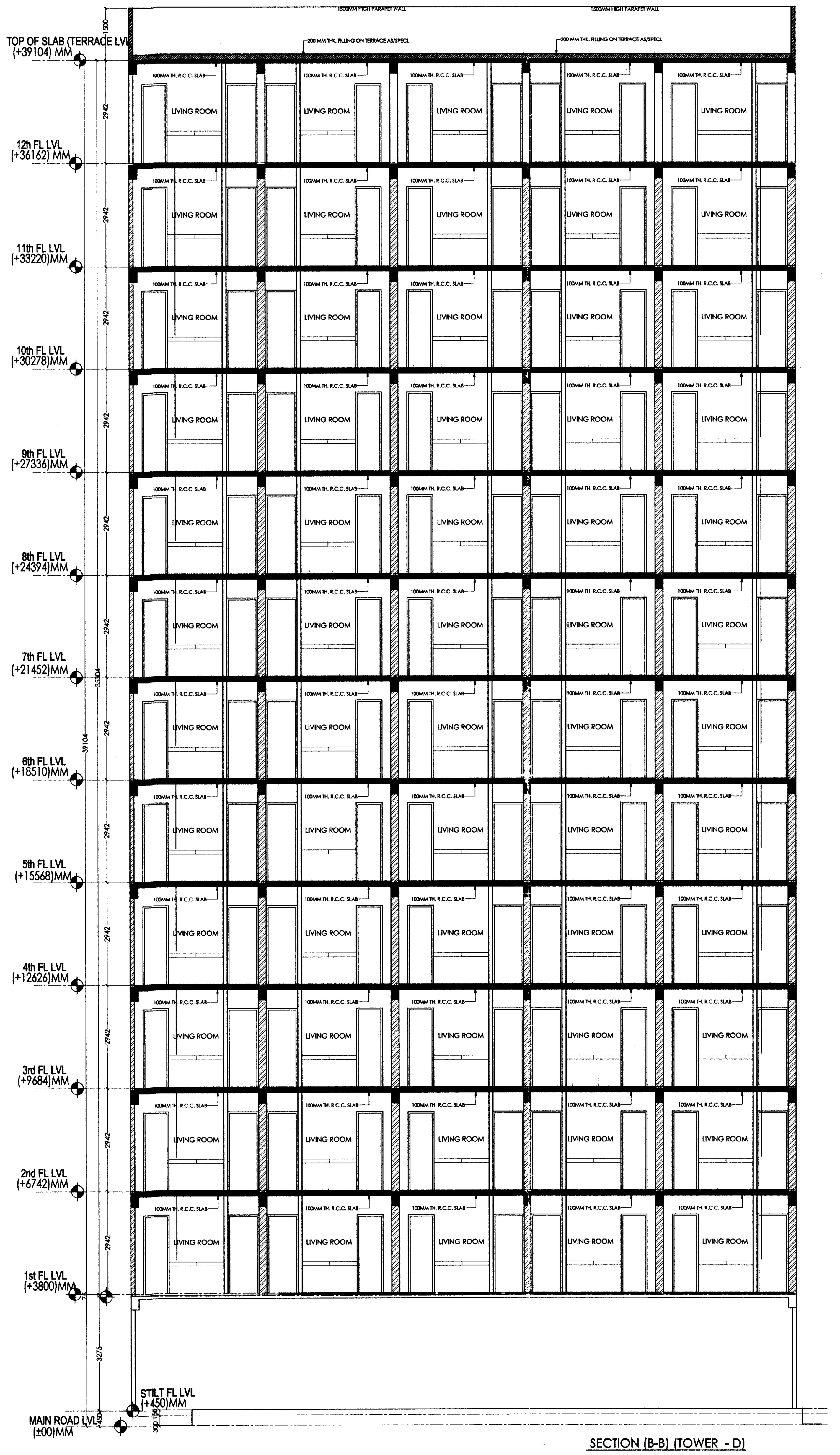

SECTION (B-B) (TOWER - D)

ELEVATION B-B (TOWER - D)

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पलना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" आपत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न हीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ोओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 18.11.14
One Set of Building Plans Approved is issued Along-With Letter No. 6207-08/15 Dt. 5/01/15

Note: These drawings are approved only upto 40 M. height.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

FINE ARCH STUDIO (P) LTD ARCHITECTS ENGINEERS & INTERIOR DESIGNERS K - 7/34 , D.L.F. PH - II, GURGAON (HARYANA) , PIN - 122001 PH. - 0124 - 4296622, CELL +91-98106-30218, +91-98108-80260	PROJECT: GROUP HOUSING SCHEME AT KHASRA NO.-53, 403/54, 402/53, 64, 401/63, 400/62, 399/61 AT VILLAGE BANBEERPUR AND 34, 35 AT VILLAGE BIBIPUR BHIWADI (RAJASTHAN)	OWNER SIGN. For V.P. SPACES (P) LTD. Director(s)	ARCHITECT SIGN ARCHITECT J.B. SINGH CA NO./2008/42258 K-7/34, G.F. DLF PH-II GURGAON-122001 CELL :9810630218
CLIENT: M/S. V.P. SPACES PVT. LTD.	SCALE :- 1:100 DATE :-OCT.-2014	DRG. NO. 04a	
DRG. TITLE PLANS,ELEVATION B-B & SECTION AT B-B (TOWER - D)			